बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 242316 दिनांक :- 14.08.15

सं0सं0-3/स्था0-1-52/15

प्रेषित,

श्री रवि रंजन,
तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी, चिरैया, पूर्वी चम्पारण,
संप्रति विभाग में प्रतीक्षारत ।

विषय :- अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-200188 दिनांक 08.09.14 द्वारा आपका पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिरैया, पूर्वी चम्पारण के पद पर किया गया था । उक्त अधिसूचना के अनुपालन में आपके द्वारा दिनांक 24.06.15 को योगदान कर स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए आप कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें । आपके अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यहित में विभागीय अधिसूचना सं0-240787 दिनांक 04.08.15 द्वारा अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया । तत्पश्चात आपके द्वारा दिनांक 13.08.15 को विभाग में योगदान किया गया है ।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकार से अवकाश की स्वीकृति के बिना कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोतक है ।

अत: उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 13/8/15

सचिव

आवेदन सं-5564 sec 2/AN